(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2409-दो/12 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.06.2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 210/निगरानी/2009-10

---

1. श्रीमती रामबाई यादव पत्नी श्री मन्नू यादव
2. राजबहादुर सिंह ठाकुर पुत्र श्री देवी सिंह ठाकुर

निवासीगण ग्राम बसाटा तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) **.....आवेदकगण**

विरुद्ध

1. रतनलाल मिश्रा पुत्र बारेलाल मिश्रा(

निवासी ग्राम बसाटा (टपरिया) तह0 व जि0 छतरपुर (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन **.....अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. दिवेदी

आदेश

(आज दिनांक 22/03/2018 .....को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 210/निगरानी/2009-101 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा

खसरा नं. 103/3 रकवा 0.910 हे. भूमि स्थित ग्राम बसाटा के सीमांकन हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर से तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा सीमांकन किया गया। जिसके विरुद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया जो उन्होंने अपने आदेश दिनांक 19.06.2012 द्वारा अमान्य किया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश उचित, न्यायिक एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अत: इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर ने अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि दिनांक 20-3-84 को जब सीमांकन कार्यवाही हुई थी उस समय आवेदकगण भूमि खसरा नं0 103/3 के भूमिस्वामी नहीं थे उनके द्वारा यह भूमि वर्ष 2009 में क्रय की है, उक्त कारण से अपर कलेक्टर ने आवेदकगण को सीमावर्ती कृषक नहीं मानने में कोई त्रुटि नहीं है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने स्थान पर उचित एवं न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर